




न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

2 मानवी देवी

वनाम मानवी देवी बगेरह

क्र०/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
	<p>अगिलेख सं०-एम... <u>५७</u> / 2018 धारा-107 द०प्र०सं० थाना प्रणारी <u>सुनदाउ (राँची जिला)</u> के अपराधिकी सं०-<u>16/18</u> दिनांक-<u>12-5-18</u> प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि <u>2 मि विवाद खबरासा का तैकर डगय पन में विवाद उत्पन्न है।</u></p> <p>जिससे संभावना है कि परिशांति गंग होगी या लोक परिशांति मुख्य होगी या समय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति गंग हो जाएगी या लोक परिशांति मुख्य हो जाएगी।</p> <p>अतः मैं पायल राज, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची) स्वतः पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर समय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। समय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उससे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रु० का नग्न पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।</p> <p>अगिलेख तिथि <u>25-5-18</u> को उपस्थापित करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू। </div> <div style="text-align: center;">  कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू। </div> </div> <p align="center" style="margin-top: 20px;"><u>अगिलेख उपस्थापित। समय पक्ष उपस्थित। समय पक्ष जमानत दाखिल करे। दिनांक 15-06-18 को शुरू।</u></p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  25/5/18 </div>	

5-05-18

5-10-18

आभिलेख उपस्थापित । प्रथम पत्र अधिवक्ता हाजरी दिनांक 01 उपस्थित कमांक 02 अधिवक्ता हाजरी । दिनांक 01 की ओर से जवाब दायित्व किया गया । प्रथम पत्र गवर्नी हेतु गवर्त उपस्थित की दिनांक 16-11-18 को रखे ।


26/10/18

16-11-18

आभिलेख उपस्थापित । प्रथम पत्र अधिवक्ता हाजरी दिनांक 02 उपस्थित कमांक 01 अधिवक्ता हाजरी । प्रथम पत्र अधिवक्ता हाजरी हेतु आगली लिख की मांग की गई । प्रथम पत्र गवर्नी हेतु दिनांक 03-12-18 को रखे ।


16/11/18

03-12-18

आभिलेख उपस्थापित । प्रथम पत्र अधिवक्ता हाजरी । उक्त वाद के 6 (छः) माह

दिथि

आदेश एवं मदाधिकारी का हस्ताक्षर

की अवधि पूर्ण हो चुकी है अर्थात्
 वाद काल वापिल हो गया है। अतः
 वाद के अगिलेख की कारवाही बन्द
 की गयी है।


 03/11/15